57

न्यायालय राजस्व मण्डल जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण कमांक   /2017 पुनरीक्षण याचिका

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/0420

(1) श्रीमती शांति पत्नी स्व श्री नारायण
(2) नरेन्द्र (अव्यस्क) पुत्र स्व श्री सरमन
(3) महेश (अव्यस्क) पुत्र स्व श्री सरमन
2 एवं 3 द्वारा संरक्षक दादी
श्रीमती शांति पत्नी स्व श्री नारायण
निवासीगण – ग्राम आमोलपठा
तहसील करैरा जिला शिवपुरी

..........................पुनरीक्षणकर्त्ता

दिनांक 12-1-18 को
श्री जयन्त मिश्रा अभि०
द्वारा प्रस्तुत।
12-1-18
पं.श्री दि० 25-1-18
Jayant Mishra (Adv.)

विरूद्ध

(1) लखन लाल पुत्र श्री चेतराम लुहार
(2) कप्तान पुत्र स्व श्री नारायण
(3) मंगल सिंह पुत्र श्री भजना कुशवाह
(4) दक्खो पत्नी श्री रामकिशन
निवासीगण – ग्राम आमोलपठा
तहसील करैरा जिला शिवपुरी

..........................रेस्पोडेंट्स

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय,

पुनरीक्षणकर्त्ताओं की ओर याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, रेस्पोडेंट कमांक 3 मंगल सिंह के द्वारा एक आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष भूमि सर्वे कमांक 1187 का बटांकन किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से तहसील न्यायालय ने सर्वे कमांक 604, 606 एवं 607 का बटाकन प्रस्ताव प्राप्त कर बटाकन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/420

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जयन्त मिश्रा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बताया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर ग्रामवासियों के समक्ष बटांकन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है और ना ही सहखातेदारों को सूचना दी गई है। मौके पर पंचनामा आदि भी कुछ तैयार नहीं किया गया है। इस कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए अपील को निरस्त किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	